न्यायालयः अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी
जिला – सवाई माधोपुर (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – श्रीमती मिनाक्षी अमित चौधरी, RJS
नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या 251/2012 (सी.आई.एस. नंबर 224/2015)
एफआईआर नंबर– 43/2011 थाना गंगापुर सिटी

राजस्थान राज्य **––अभियोजन**

बनाम

1. रामधन पुत्र हाबू कोली निवासी सलेमपुर थाना कुडगांव जिला करौली,
2. फरमान पुत्र मंजूर खां मुसलमान, निवासी सलेमपुर थाना कुडगांव जिला करौली,
3. नरसी पुत्र श्योराम बैरवा निवासी सलेमपुर थाना कुडगांव जिला करौली,
4. निरंजन पुत्र श्योराम बैरवा, निवासी सलेमपुर थाना कुडगांव जिला करौली,

(निर्णय अभियुक्त संख्या 1 लगायत 4 दिनांक 06.12.2023)

5. रमेश पुत्र भवीचन्द मीना निवासी फुलवाडा पेपट थाना वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर।

––अभियुक्तगण

अपराध अंतर्गत धारा 379, 411, 468, 471, 465 भारतीय दण्ड संहिता
व धारा 21 खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम

उपस्थितः–

1. राज्य की ओर से	अभियोजन अधिकारी
2. अभियुक्त रमेश की ओर से	अधिवक्ता श्री कृष्ण कुमार उपाध्याय

निर्णय **दिनांकः 02.07.2026**

1. प्रकरण में अभियुक्त रमेश के दिनांक 06.09.2023 को मफरूर घोषित होने पर अभियुक्तगण रामधन, फरमान, नरसी, निरंजन की हद तक दिनांक 06.12.2023 को निर्णय किया जा चुका है। अब अभियुक्त रमेश की हद तक ही प्रकरण का निस्तारण किया जा रहा है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि मुस्तगीस अशोक कुमार अग्रवाल सर्वेयर खनिज विभाग करौली की ओर से एक तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–17 पुलिस थाना गंगापुर सिटी में इस आशय की पेश की गई कि दिनांक 19.01.11 को वह, तहसीलदार गंगापुरसिटी, वनप्रसार अधिकारी गंगापुरसिटी, उपपरिवहन निरीक्षक गंगापुरसिटी मय आर.ए.सी.बल के अवैध खनन व अवैध खनिज निर्गमन की रोकथाम हेतु संयुक्त चैकिंग दल के साथ समय लगभग 7 ए.एम. पर

स्थान उदेई मोड गंगापुरसिटी पर पहुचे तो सामने से खनिज मैसोनरी स्टोन खण्डा व गिट्टी से भरे हुए ट्रेक्टर ट्रोली आते हुए दिखायी दिये जिन्हें रोककर खनिज निर्गमन का रवन्ना पूछा तो उनकी निम्न स्थिति सामने आयी –1. ट्रेक्टर ट्रोली नंबर आरजे 25 आर 0267 इस ट्रैक्टर के टोली के वाहन चालक रामधन ने खनिज को सलेमपुर की पहाडी से लाने, ट्रेक्टर मालिक का नाम हनुमान बताया व रवन्ना नंबर 0207583 की दिनांक में कटिंग कर 18.01.11 किया गया पाया गया। इस प्रकार वाहन चालक द्वारा आपराधिक कृत्य करते हुए रवन्ना का दुरूपयोग कर खनिज का अवैध रूप से निर्गमन किया गया। 2. ट्रेक्टर ट्रोली महिन्द्रा नंबर आरजे 34 आर 0339 इस ट्रैक्टर टोली के वाहन चालक फरमान ने खनिज को सलेमपुर की पहाडी से लाना बताया व रवन्ना नंबर 0966259 दिखाया जो दिनांक 18.01.11 समय 1 पी.एम. का जारी किया हुआ, पाया गया। इस प्रकार रवन्ना का दुरूपयोग कर खनिज का अवैध रूप से निर्गमन किया गया। 3. ट्रेक्टर ट्रोली बिना रजिस्ट्रेशन नंबर, इस ट्रैक्टर टोली के वाहन चालक नरसी ने खनिज को सलेमपुर की पहाडी से लाना बताया व रवन्ना नंबर 0961880 दिखाया जिसमें तारीख में कटिंग कर 19.01.11 समय 1 पी.एम. किया हुआ, पाया गया। इस प्रकार रवन्ना का दुरूपयोग कर खनिज का अवैध रूप से निर्गमन किया गया। 4. ट्रेक्टर ट्रोली बिना रजिस्ट्रेशन नंबर, इस ट्रैक्टर के टोली के वाहन चालक निरंजन ने खनिज को सलेमपुर की पहाडी से लाना बताया व कोई रवन्ना होना नहीं बताया। इस प्रकार खनिज का अवैध रूप से निर्गमन किया गया। 5. ट्रेक्टर ट्रोली बिना रजिस्ट्रेशन नंबर, इस ट्रैक्टर ट्रोली के वाहन चालक रमेश मीना ने खनिज बजरी की दिनांक 08.11.11 की रायल्टी रसीद नंबर 070245 दिखायी, इस प्रकार रायल्टी रसीद का दुरूपयोग कर खनिज का अवैध रूप से निर्गमन किया गया, इत्यादि।

3. परिवादी की उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना गंगापुर सिटी में प्रकरण संख्या 43/2011 अपराध अंतर्गत धारा 379, 411, 468, 471, 420 भारतीय दण्ड संहिता एवं 21 एमएमडीआर एक्ट में पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान किया गया तथा बाद अनुसंधान अभियोग पत्र अभियुक्तगण 1. रामधन, 2. फरमान, 3. नरसी, 4. निरंजन व 5. रमेश के विरूद्ध अंतर्गत धारा 379, 411, 468, 471, 465 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 21 एमएमडीआर एक्ट के तहत आरोपपत्र न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग गंगापुरसिटी में पेश किया। उक्त धाराओं में उपरोक्त मुलजिमान के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, सवाई माधोपुर के आदेश क्रमांक 28 दिनांक 09.02.2015 के द्वारा प्रकरण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 गंगापुरसिटी में स्थानांतरित किया गया।

4. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 गंगापुरसिटी द्वारा दिनांक 02.03.2017 को अभियुक्तगण 1. रामधन, 2. फरमान, 3. नरसी, 4. निरंजन व 5. रमेश को धारा 379/411, 465, 468, 471 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 21 एमएमडीआर एक्ट का आरोप पृथक से विरचित किया जाकर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

5. साक्ष्य अभियोजन की स्टेज पर दिनांक 19.09.2018 को धारा 468, 471 आईपीसी का क्षेत्राधिकार न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को होने पर न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 गंगापुरसिटी द्वारा हस्तगत प्रकरण न्यायालय हाजा को भिजवाया गया।

6. अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को साबित करने हेतु निम्नलिखित मौखिक साक्षी परीक्षित करवाये–

क्र.सं.	गवाह संख्या	गवाह का नाम	संबंधित गवाह
1	पी.डब्ल्यू–1	भगवान सिंह	चश्मदीद गवाह
2	पी.डब्ल्यू–2	गंगाराम	चश्मदीद गवाह
3	पी.डब्ल्यू–3	अशोक अग्रवाल	ताईद एफआईआर व फर्द पंचनामा नक्शा मौका
4	पी.डब्ल्यू–4	शिवचरणलाल	चश्मदीद गवाह
5	पी.डब्ल्यू–5	प्रीतमचंद गुप्ता	चश्मदीद गवाह
6	पी.डब्ल्यू–6	रामेश्वर प्रसाद	चश्मदीद गवाह
7	पी.डब्ल्यू–7	भरतलाल	चश्मदीद गवाह
8	पी.डब्ल्यू–8	रामदेव सिंह	पुलिस इमदाद ड्यूटी देना
9	पी.डब्ल्यू–9	नईम खान	चश्मदीद गवाह
10	पी.डब्ल्यू–10	बाबूलाल	चश्मदीद गवाह
11	पी.डब्ल्यू–11	श्यामवीर	फर्द गिरफ्तारी
12	पी.डब्ल्यू–12	सईद अहमद	फर्द जब्ती
13	पी.डब्ल्यू–13	सलीम खान दिनांक 02.05.23	फर्द जब्ती
14	पी.डब्ल्यू–13 (पी.ड. 13 समान रूप से दो बार अंकित)	कृपाल सिंह दिनांक 12.06.23	फर्द गिरफ्तारी

7. अभियोजन द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप निम्नलिखित दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाया–

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या	दस्तावेज का नाम
1	प्रदर्श पी–1 लगायत 5	प्रलेखीय साक्ष्य में मौका पंचनामा
2	प्रदर्श पी–6 (सहवन से दो बार समान प्रदर्श अंकित)	नक्शामौका
3	प्रदर्श पी–6 लगायत 10 (सहवन से दो बार समान प्रदर्श अंकित)	सीजर मीमो, प्रदर्शित दिनांकित 06.09.17
4	प्रदर्श पी–7 लगायत 11 (सहवन से दो बार समान प्रदर्श अंकित)	फर्द जब्ती ट्रेक्टर ट्रोली, प्रदर्शित दिनांकित 04.10.19
5	प्रदर्श पी–12 लगायत 16	रवन्ना, प्रदर्शित दिनांकित 04.10.19
6	प्रदर्श पी–17	तहरीरी रिपोर्ट
7	प्रदर्श पी–18 (सहवन से दो बार समान प्रदर्श अंकित)	चाक एफआईआर
8	प्रदर्श पी–18 लगायत 21 (सहवन से दो बार समान प्रदर्श अंकित)	फर्द गिरफ्तारी, प्रदर्शित दिनांकित 01.10.2022
9	प्रदर्श पी–19 (सहवन से दो बार समान प्रदर्श अंकित)	अशोक का सरवेयर के रूप में कार्यालय आदेश
10	प्रदर्श पी–20 (सहवन से दो बार समान प्रदर्श अंकित)	खनन रोकने हेतु गठित टीम का कार्यालय आदेश
11	प्रदर्श पी–21 (सहवन से दो बार समान प्रदर्श अंकित)	अशोक को कार्यवाही हेतु अधिकृत करने बाबत खनिज अभियन्ता करौली को लिखा पत्र
12	प्रदर्श पी–22 (सहवन से दो बार समान प्रदर्श अंकित)	फर्द जब्ती रवन्ना गड्डी
13	प्रदर्श पी–22 लगायत 24	रवन्ना की कार्बन प्रति
14	प्रदर्श पी–25 व 26	रोजनामचा रवानगी व आदम

8. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने पर दिनांक 09.06.2026 को अभियुक्त रमेश का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत किया गया। अभियुक्त ने गवाह के कथनों को गलत होना बताया तथा प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश करना नहीं चाहा।

9. बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी का निवेदन रहा है कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री से अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः सफल रहा है, अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किया जाकर यथोचित दण्ड से दण्डित किया जाए।

10. इसके विपरीत विद्वान **अधिवक्ता अभियुक्त रमेश का तर्क** रहा है कि मुकदमे के अनुसार दिनांक 19.01.2011 को रास्ते में चैकिंग के दौरान पांच ट्रेक्टर पकडे गए थे, जिनमें से एक ट्रेक्टर उनके पक्षकार रमेश का था, रमेश की जो ट्रेक्टर ट्रोली थी, वह बिना नंबरी थी। रमेश ने रॉयल्टी पेश की है वह दिनांक 08.01.2011 की बताई है जबकि घटना दिनांक 19.01.2011 की है। अभियोजन की ओर से कुल 14 गवाह परीक्षित हुए हैं, जिनमें से गवाह संख्या 4, 5, 9, 10, 12, 13 अभियुक्त रमेश से संबंधित नहीं हैं तथा गवाह संख्या 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11 व 13 क्रपाल सिंह अभियुक्त रमेश से संबंधित हैं। उपरोक्त सभी गवाहन की साक्ष्य परस्पर विरोधाभाषी रही है। गवाहन ने अभियुक्त से पहले तो बजरी भरना बताया है फिर कुछ ने पत्थर भरा होना बताया है। साथ ही अभियुक्त की रसीद पर कांटछांट बताई है परंतु अभियुक्त की रसीद पर कोई कांटछांट नहीं है। अभियुक्त के पास बजरी परिवहन का वैध अनुज्ञा पत्र था परंतु उस दिन उसे बजरी का कोई ग्राहक नहीं मिलने के कारण वह अगले दिन बजरी लेकर आया था। जिस समय उसे पकड लिया गया। अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अभियुक्त को रंजिशवश प्रकरण में झूंठा फंसाया गया है। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षीगण के बयानों में गम्भीर विरोधाभास है, गवाहान की साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाए।

11. बहस उभय पक्ष सुनने एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के उपरांत न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु निम्न है कि–

1– क्या अभियुक्त रमेश ने दिनांक 19.01.2011 को प्रातः 7 बजे या उससे पूर्व किसी समय उदेई मोड गंगापुरसिटी में खनिज विभाग की खनिज संपदा को बेईमानीपूर्ण आशय से चुराकर विकल्प में उस संपदा को चोरी की होना जानते हुए भी अपनी अभिरक्षा में रखा व खनिज विभाग की बिना अनुमित या बिना वैध अनुज्ञा पत्र के खनिज विभाग की खनिज संपदा का दोहन करने के लिए रवन्ना की कूटरचना चुराई गई खनिज संपदा को वैध होना बताने के लिए की एवं उक्त कूटरचित रवन्ना को यह जानते हुए भी कि वह कूटरचित है, मूल्यवान असली प्रतिभूति के रूप में काम में लिया?

2– यदि हां, इसके लिये अभियुक्त को किस प्रकार के दण्ड से दंडित किया जाये?

12. उभयपक्षकारान को सुना गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण का निस्तारण अभियुक्त रमेश की हद तक किया जा रहा है, जिसके अपराध को साबित करने हेतु अभियोजन की ओर से कुल 14 गवाहन परीक्षित करवाये गए हैं। जिनमें से गवाह पी.ड. 4 शिवचरण लाल, पी.ड. 5 प्रीतमचंद गुप्ता, पी.ड. 9 नईम खान, पी.ड. 10 बाबूलाल, पी.ड. 12 सईद अहमद, पी.ड. 13 सलीम खान ने अभियुक्त रमेश के संबंध में साक्ष्य नहीं दी है, जिसकी साक्ष्य को अभियुक्त रमेश के निर्णय के संबंध में पढा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इसके अतिरिक्त शेष रहे गवाहन में से प्रकरण का परिवादी अशोक अग्रवाल गवाह पी.ड. 3 के रूप में परीक्षित हुआ है। जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 19.01.2011 को वह कार्यालय खनिज अभियन्ता में सर्वेयर के पद पर कार्यरत था। उस दिन चैकिंग हेतु श्रीमान तहसीलदार वन प्रसार अधिकारी व उप परिवहन निरीक्षक गंगापुर सिटी के साथ संयुक्त चैकिंग हेतु उदेई मोड पर समय करीब 7 बजे पहुंचे व समय करीब 7.30 बजे खनिज मैसनरी स्टोन (खण्डा व गिट्टी) से भरे हुए ट्रेक्टर ट्रोली आते हुए दिखाई दिये, जिन्हें रोककर पूछताछ की, उस ट्रेक्टर ट्रोली में लगभग 10 टन बजरी भरी हुई थी, के पास 08.01.2011 की रॉयल्टी रसीद थी। ट्रेक्टर पर रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित नहीं था, जिसे अमान्य करते हुए ट्रेक्टर ट्रोली को जब्त कर फर्द जब्ती प्रदर्श पी–11 बनाई गई, जिस पर ए से बी उसके व सी से डी चालक रमेश के हस्ताक्षर हैं। रमेश के पास जो रवन्ना मिला था वह प्रदर्श पी–12 है। रमेश से जब्तशुदा ट्रेक्टर ट्रोली का पंचनामा प्रदर्श पी–5 है, जिस पर के से एल चालक के हस्ताक्षर हैं। उपरोक्त कार्यवाही के पश्चात उपरोक्त ट्रेक्टर ट्रोली को थाने पर सुपुर्द कर रिपोर्ट पेश की थी, जो प्रदर्श पी–17 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। चाक एफआईआर प्रदर्श पी–18 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके सामने उदेई मोड पर ट्रेक्टर ट्रोली को मौके पर जब्त कर नक्शा मौका प्रदर्श पी–6 बनाया था, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। उसके सर्वेयर के रूप में कार्य करने के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–19 है। जिला कलेक्टर द्वारा गठित टीम के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–20 है। उसे कार्यवाही हेतु अधिकृत करने बाबत खनिज अभियंता कार्यालय का लिखित प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–21 है। इस गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से किये गए प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि वक्त निरीक्षण रमेश के पास रॉयल्टी रसीद थी। अजखुद कहा कि वह 8 तारीख की थी। अभियुक्त के पास मिला रवन्ना 11 दिन पहले का है। उक्त रवन्ने का प्रकरण से संबंध नहीं है। गवाह ने इस सलाह को सही बताया है कि रमेश के ट्रेक्टर नंबर रिपोर्ट में अंकित नहीं हैं। इस सलाह को सही बताया है कि ट्रेक्टर पर चैचिस नंबर व इंजन नंबर अंकित थे। उसने जब्त की गई पर्ची की कोई जांच नहीं की, स्वयं कथन किया कि पर्ची 8 तारीख की थी व कार्यवाही 19 तारीख की है। इस सलाह को सही बताया कि प्रदर्श पी–12 में वैधता की

अवधि नहीं है, अजखुद कहा कि प्रत्येक चक्कर में अलग अलग जारी होती है।

13. गवाह पी.ड. 7 भरतलाल ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक 19.01.2011 को तहसीलदार गंगापुर सिटी के पद पर कार्यरत था। उस दिन खनिज विभाग के सर्वेयर अशोक कुमार अग्रवाल तथा परिवहन निरीक्षक गंगाराम रैगर, वन प्रसार अधिकारी रामेश्वर मीना मय जाब्ता पुलिस तथा एसआई रामदेव सिंह आदि को संयुक्त जांच हेतु अवैध खनन हेतु तैयार की थी। वे सुबह सात बजे उदेई मोड पर वाहनों की चैकिंग कर रहे थे। तब ट्रेक्टर मय ट्रोली जिसका चालक रमेश मीना निवासी फलवाडा के पास रॉयल्टी की संबंधी कोई कागजात नहीं थे। एक रसीद थी। जिस पर उन्होंने सभी ट्रेक्टर मय ट्रोली को जब्त कर लिया था। सर्वेयर अशोक अग्रवाल ने ट्रेक्टर मय ट्रोली का अलग पंचनामा तैयार किया। सभी पंचनामे प्रदर्श पी–1 लगायत 5 पर जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। इस गवाह ने अभियुक्त रमेश की ओर से किये गए प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि फर्दें उसके द्वारा तैयार नहीं की गईं। फर्दों पर उसके हस्ताक्षर हैं, उन्होंने ट्रेक्टर चालक से पूछताछ की थी, उस दिन उन्होंने 5 ट्रेक्टरों की जांच की थी।

14. गवाह पी.ड. 6 रामेश्वर प्रसाद ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक 19.01.2011 को वन प्रसार अधिकारी गंगापुर सिटी के पद पर कार्यरत था। एक संयुक्त टीम राज्य सरकार ने अवैध खनन रोकने हेतु बनाई थी, जिसकी टीम में वह भी था। जिसका आदेश श्रीमान जिला कलेक्टर द्वारा जारी किया गया था, जो प्रदर्श पी–20 है। उस टीम में तहसीलदार गंगापुर सिटी भरतलाल मीना, खनिज सर्वेयर अशोक अग्रवाल, परिवहन निरीक्षक गंगाराम की संयुक्त चैकिंग में उन्होंने उस दिन सुबह 7 बजे उदेई मोड पर चैकिंग करते हुए सालोदा की तरफ से पत्थर, गिट्टी भरे हुए ट्रेक्टरों को रोका। जिनके चालक रामधन, फरमान, नरसी, निरंजन, रमेश थे। रमेश के ट्रेक्टर में बजरी भरी हुई थी। बाकी सब ट्रेक्टरों में खण्डे पत्थर (मेशनरी स्टोन) भरे हुए थे। जिन्हें मौके पर जब्त कर पंचनामा बनाया था। प्रदर्श पी–5 पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से किये गए प्रतिपरीक्षण में गवाह ने इस सलाह को सही बताया है कि रमेश ट्रेक्टर से बजरी लेकर आया था। मुलजिम रमेश के पास कोई रवन्ना नहीं था। एफआईआर जब्ती के आधार पर हुई थी। रमेश ने जो रवन्ना बताया था वह वक्त घटना का नहीं था दिनांक 08.01.2011 का था।

15. गवाह पी.ड. 2 गंगाराम ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 19.01.2011 को वह, तहसीलदार भरतलाल, खनिज विभाग से अशोक कुमार जी, वन विभाग से रामेश्वर प्रसाद जी संयुक्त अभियान में जांच कर रहे थे। तब सालोदा की तरफ से पत्थर से भरे ट्रेक्टर ट्रोली उदेई मोड की तरफ आ रहे थे। जिनमें से कुछ नंबर के थे तथा कुछ बिना नंबरी थे। मौके पर बनाये पंचनामा प्रदर्श पी–5 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त रमेश की ओर

से किये गए प्रतिपरीक्षण में इस सलाह को गलत बताया है कि रमेश मुलजिम के पास सभी वैध कागजात हो। गवाह ने कथन किया है कि वह किसी चालक को आज नहीं पहचान सकता। पंचनामा प्रदर्श पी–1 लगायत पी–5 खनिज विभाग के अधिकारी की हस्तलिखी में हैं।

16. गवाह पी.ड. 1 भगवान सिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक 19.01.2011 को खनिज विभाग करौली में माईन्स गार्ड के पद पर कार्यरत था। उस दिन वह, अशोक अग्रवाल फोरेन्स, तहसीलदार गंगापुर सिटी, रेन्जर साहब, परिवहन अधिकारी ने उदेई मोड पर पांच वाहन ट्रेक्टरों को रोका था। गवाह ने अभियुक्त की ओर से किये गए प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि वह हाजिर अदालत मुलजिमों को नहीं पहचान सकता।

17. गवाह पी.ड. 8 रामदेव सिंह ने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 19.01.2011 को वह उप निरीक्षक के पद पर थाना गंगापुर सिटी में कार्यरत था। जब वह उदेई मोड पर नाकाबंदी वह चैकिंग करने पहुंचे तब सालोदा की ओर से ट्रेक्टर मय ट्रोली आते हुए दिखाई दिये, जिनमें खण्ड, मिट्टी, बजरी, पत्थर भरे हुए थे। उन्होंने रमेश व अन्य के ट्रेक्टरों को चैक किया जो कि बिना नंबरी थे। इस गवाह ने दौराने प्रतिपरीक्षण कथन किया है कि वह रमेश को पहले से नहीं जानता। उसे रमेश के ट्रेक्टर नंबर याद नहीं हैं।

18. अभियुक्त रमेश की गिरफ्तारी से संबंधित औपचारिक गवाह पी.ड. 11 श्यामवीर सिंह, पी.ड. 13 कृपाल सिंह हैं, जो दिनांक 20.01.2011 को थाना उदेई मोड पर कानि. के पद पर कार्यरत थे। उक्त गवाहन ने अभियुक्त रमेश को जरिए फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–21 गिरफ्तार किये जाने का कथन किया है तथा गवाह पी.ड. 11 ने नक्शा मौका प्रदर्श पी–6 पर स्वयं के हस्ताक्षरों को स्वीकार किया है।

19. इस प्रकार अभियोजन की ओर से आई उपरोक्त समस्त साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में परीक्षित परिवादी गवाह पी.ड. 3 अशोक ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि दिनांक 19.01.2011 को उसके द्वारा तहसीलदार, वन प्रसार अधिकारी, परिवहन निरीक्षक के साथ संयुक्त रूप से उदेई मोड पर कार्यवाही की थी। जब उन्होंने रमेश के ट्रेक्टर को रोककर जांच की थी तब रमेश का ट्रेक्टर ट्रोली जो कि बिना नंबरी था, में लगभग 10 टन बजरी भरी हुई थी और उसके पास दिनांक 08.01.2011 की रॉयल्टी थी। ट्रेक्टर पर रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित नहीं था। जिसे अमान्य करते हुए ट्रेक्टर मय ट्रोली को जब्त किया गया था। मौके पर उपस्थित अन्य गवाह पी.ड. 6 रामेश्वर प्रसाद ने भी उपरोक्त तथ्यों की ताईद करते हुए यही कथन किये हैं कि दिनांक 19.01.2011 को उनके द्वारा की गई कार्यवाही में ट्रेक्टर की जांच की गई थी। जिसमें रमेश के ट्रेक्टर में बजरी भरी हुई थी। बाकी अन्य ट्रेक्टर में खण्डे पत्थर भरे हुए थे। मौके पर

उपस्थित अन्य गवाह पी.ड. 7 भरतलाल ने भी उपरोक्त तथ्यों की पूर्णतः ताईद करते हुए यही कथन किये हैं कि उनके द्वारा दिनांक 19.01.2011 को संयुक्त जांच अवैध खनन हेतु की गई थी तथा रमेश के पास रवन्ना के संबंध में कोर्ट कागजात नहीं थे। गवाह पी.ड. 2 गंगाराम ने भी दिनांक 19.01.2011 को मौके पर कार्यवाही की जाकर पंचनामा बनाये जाने का कथन किया है तथा गवाह पी.ड. 8 रामदेव सिंह ने भी उपरोक्त तथ्यों की पूर्णतः ताईद करते हुए यही कथन किये हैं कि दिनांक 19.01.2011 को अवैध खनन के विरूद्ध कार्यवाही की गई थी, जिसमें ट्रेक्टर मय ट्रोली खण्ड, पत्थर, बजरी से भरे हुए, को जब्त किया गया था। इस गवाह ने अपने प्रतिपरीक्षण में भी इस तरह की पुष्टि की है कि रमेश ट्रेक्टर से बजरी लेकर आया था। इस प्रकार स्वयं अभियुक्त द्वारा प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसके ट्रेक्टर में दिनांक 19.01.2011 को बजरी भरी हुई थी।

20. इस संबंध में अभियोजन की ओर से परीक्षित दस्तावेज प्रदर्श पी–5 के अवलोकन से प्रकट है कि उक्त दस्तावेज मौका पंचनामा है जो दिनांक 19.01.2011 को बनाया गया है, जिसमें रायल्टी रसीद नंबर 070245 दिनांक 08.01.2011 समय 12.15 पीएम राशि 336 रूपए अंकित है तथा उक्त ट्रेक्टर ट्रोली में बजरी भरे जाने का तथ्य अंकित है। प्रदर्श पी–6 नक्शा मौका है। अभियोजन की ओर से परीक्षित उपरोक्त सभी गवाहन ने एक सुर में यही कथन किया है कि मौके पर अभियुक्त रमेश के द्वारा जो रसीद दी गई थी वह दिनांक 08.01.2011 की थी। जबकि उनके द्वारा कार्यवाही दिनांक 19.01.2011 को की गई थी। उक्त संबंध में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत रसीद प्रदर्श पी–12 के रूप में प्रदर्शित करवाई गई है, जिसके अवलोकन से प्रकट है कि उक्त रसीद संख्या 070245 दिनांक 08.01.2011 की है, जो बजरी का परिवहन किये जाने के संबंध में समय 12.15 पर जारी की गई है। अभियुक्त का उपरोक्त दस्तावेज के संबंध में यह कथन रहा है कि उसके पास बजरी परिवहन किये जाने के संबंध में वैध रसीद थी परंतु उसे कोई ग्राहक नहीं मिला था, जिस कारण उसने अगले दिन बजरी का परिवहन किया था।

21. इस संबंध में उपरोक्त साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा संयुक्त टीम के साथ दिनांक 19.01.2011 को कार्यवाही की गई है तथा उसी दिनांक को अभियुक्त से बिना नंबरी ट्रेक्टर मय ट्रोली जिसमें बजरी भरी हुई थी, को जब्त किया गया है। प्रदर्श पी–12 दिनांक 08.01.2011 की है जिससे यह साबित होता है कि उक्त रसीद प्रदर्श पी–12 के 11 दिन पश्चात अवैध खनन के विरूद्ध संयुक्त टीम द्वारा की गई कार्यवाही के समय पेश की गई है। अधिवक्ता अभियुक्त का यह भी तर्क रहा है कि उक्त रसीद प्रदर्श पी–12 पर कोई वैधता की अवधि नहीं लिखी हुई है। इस संबंध में गवाह पी.ड. 3 अशोक कुमार अग्रवाल की साक्ष्य के अवलोकन से

प्रकट है कि उक्त गवाह ने अपनी साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि प्रदर्श पी–12 पर वैधता की अवधि नहीं है परंतु प्रत्येक चक्कर में अलग रसीद जारी होती है। इसी प्रकार दस्तावेज प्रदर्श पी–21 पत्र कार्यालय खनिज अभियंता करौली के अवलोकन से प्रकट है कि उक्त पत्र के मद संख्या 4 में भी यह तथ्य अंकित है कि रायल्टी रसीद नाका हाडौती से नाकेदार द्वारा दिनांक 08.01.2011 को किये गए खनिज निर्गमन के लिए जारी की गई थी। निर्गमनकर्ता द्वारा वक्त चैकिंग दिनांक 19.01.2011 को अर्थात 11 दिन बाद उपयोग में लाने के कारण रॉयल्टी रसीद को अमान्य किया गया है। अतः उपरोक्त समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह स्पष्ट साबित होता है कि अभियुक्त द्वारा दिनांक 19.01.2011 को बजरी का निर्गमन किया गया था जिसके निर्गमन हेतु उसके पास कोई वैध रसीद अथवा कोई अनुज्ञा पत्र नहीं था। उक्त बजरी अभियुक्त के कब्जे से बरामद की गई है। अभियुक्त द्वारा पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। जिससे यह प्रकट हो कि उसके द्वारा उक्त बजरी उसके द्वारा खरीदी गई हो व उसके पास निर्गमन करने हेतु कोई वैध अधिकार हो।

22. इस प्रकार अभियोजन पक्ष यह संदेह से परे सिद्ध है कि अभियुक्त के कब्जे से बिना वैध अनुज्ञापत्र/वैध रवन्ना के खनिज (बजरी) बरामद हुआ तथा वह उक्त खनिज के अवैध होने का ज्ञान रखते हुए भी उसे अपने कब्जे एवं परिवहन में रखे हुए था। अतः अभियुक्त का कृत्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा 411 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है। फलस्वरूप अभियुक्त रमेश को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 411 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम की धारा 21 के अपराध में दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है तथा अभियुक्त रमेश के विरूद्ध बजरी चोरी किया जाना सिद्ध नहीं हो सका है, अतः उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379 का अपराध सिद्ध नहीं होता है।

23. जहां तक अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 465, 468 एवं 471 के आरोपों का प्रश्न है, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से यह तथ्य संदेह से परे सिद्ध नहीं होता कि अभियुक्त के द्वारा प्रस्तुत रवन्ने में स्वयं किसी प्रकार की कूटरचना अथवा कांट–छांट की गई हो तथा अभियुक्त द्वारा किसी कूटरचित रवन्ना का निर्माण किया जाना या उसे कूटरचित जानते हुए असली के रूप में प्रयोग किया जाना प्रमाणित हुआ हो। अतः अभियोजन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 465, 468 एवं 471 के अपराधों को संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है। फलस्वरूप अभियुक्त रमेश को धारा 465, 468 एवं 471 भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों में दोषमुक्त किए जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:: **आ दे श** ::–

24. अतः अभियुक्त रमेश पुत्र भवीचन्द मीना निवासी फुलवाडा पेपट थाना वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर को उसके विरूद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 379, 465, 468 एवं 471 भारतीय दण्ड संहिता में सन्देह का लाभ दिया जाकर दोष–मुक्त घोषित किया जाता है तथा धारा 411 भारतीय दण्ड संहिता तथा धारा 21 खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(मिनाक्षी अमित चौधरी)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

दंड के बिन्दू पर

25. अधिवक्ता अभियुक्त को दंड के बिन्दू पर सुना गया। अभियुक्त के अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है। अभियुक्त गरीब ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है, अभियुक्त प्रकरण में वर्ष 2012 से अन्वीक्षा भुगत रहा है, इसलिए अभियुक्त के प्रति नरमी का रूख अख्तयार करते हुए परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिये जाने का निवेदन किया। अभियोजन अधिकारी द्वारा नियमानुसार दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

26. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि अभियुक्त पर बिना अनुज्ञा पत्र अवैध बजरी परिवहन करने बाबत अपराध बखूबी सिद्ध पाया गया है परंतु अभियुक्त के विरूद्ध पत्रावली पर पूर्व दोषसिद्धी बाबत कोई आपराधिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है तथा अभियुक्त उक्त प्रकरण में वर्ष 2012 से अन्विक्षा भुगत रहा है। अतः आरोपित अपराधों में न्यायालय के विनम्र मत में अभियुक्त को अर्थदण्ड से दंडित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

– **दण्डादेश** –

27. फलतः अभियुक्त रमेश पुत्र भवीचन्द मीना निवासी फुलवाडा पेपट थाना वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 411 भारतीय दण्ड संहिता एवं खान एवं धारा 21 खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर उक्त अभियुक्त को धारा 411 आईपीसी में 2,500/– रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, अदम अदायगी अर्थदण्ड की दशा में अभियुक्त 5 दिन का साधारण कारावास भुगतेगा तथा धारा 21 एमएमडीआर एक्ट में 2,500/– रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, अदम अदायगी अर्थदण्ड की दशा में अभियुक्त 5 दिन का साधारण कारावास भुगतेगा।

28. अभियुक्त के पूर्व के जमानत मुचलके निरस्त समझे जावें। सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार निरस्त समझा जावे। निर्णय की प्रति अभियुक्त को निःशुल्क दी जावे।

(मिनाक्षी अमित चौधरी)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

29. निर्णय आज दिनांक 02.07.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(मिनाक्षी अमित चौधरी)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर